संख्या- 78/2015/486/71-1-2015-जी-43/2015

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनाँक 29 मार्च, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर के विभिन्न विभागों हेतु आवश्यक उपकरण क्रय किए जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2015/1172, दिनाँक 09-03-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर में "मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" मद में प्राविधानित धनराशि रू0 1,00,00,000/- (रू0 एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष् प्रदान करते है।

2- स्वीक़त की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों, स्टोर परचेज रूल्स एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

5- डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाए कि विगत 05 वर्षो में इस प्रकार के उपकरण की क्रयदारी नहीं की गई तथा उपकरण रखने हेतु स्थान संरक्षित एवं संसाधनयुक्त होगा।

6- उपकरणों का क्रय एम0सी0आई0 के मानकों के अनुरूप किया जाएगा तथा उपकरणों की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्म्रदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य की होगी।

7- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि उपकरणों की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध है तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।

8- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-22-जे0 के0 इन्स्टीटयूट आफ रेडियोलॉजी एण्ड कैंसर रिसर्च, कानपुर-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के नामे डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

9- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनॉक 22 जुलाई, 2014 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे है।

संलग्नक - रू0 1.00 करोड से क्रय किये जाने वाले उपकरणों की सूची।

भवदीय

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव

संख्या:- 78/2015/486(1)/71-1-2015 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- निदेशक, जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- संबंधित समीक्षाधिकारी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in